न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद सख्या/2021/40

1. बबलू पुत्र गोपाल जाति कुमावत निवासी दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र मुल्या
2. छाजूराम पुत्र गोपाल
   समस्त जाति कुमावत निवासी दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. सावित्री पुत्री गोपाल पत्नी रामकिशन ग्राम नारेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
4. सुगन पुत्री गोपाल पत्नी प्रेम चन्द ग्राम खातल्या तहसील फुलेरा जयपुर।
5. सरोज देवी पत्नी राजेन्द्र अग्रवाल जाति महाजन निवासी नाडी का मोहल्ला, बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. राधा देवी पत्नी राधेश्याम बागडा निवासी ग्राम बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. विक्रम शर्मा पुत्र श्री धन्ना लाल शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी बागडो की ढाणी हरनाथपुरा निवारू रोड जयपुर।
8. अन्नू देवी पतनी गिरधारी लाल पोद्दार निवासी 74, कृष्णा नगर, ढेहर का बालाजी तीन दुकान जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार उपतहसील बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 16:42:41 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक: 25.04.2022

निर्णय

वादी की ओर से दावा इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम दहमीकलां, पटवार क्षेत्र दहमीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित साविक आराजी खसरा नंबर 460,

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

461, 464, 465, 466, 467, 468 कुल किता 7 कुल रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा जिसके खाता संख्या 390 व पुराना 375 के खसरा नंबर 929 व 930 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर तथा हाल खाता संख्या 217 पुराना 257 के खसरा नंबर 758 रकबा 0.32 हैक्टेयर एवं हाल खाता संख्या नया 59 पुराना 53 के खसरा नंबर 923 कुल किता 1 कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 287 व पुराना 258 के खसरा नंबर 932, 943/2574, 944 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर, और खाता संख्या नया 109 पुराना 105 के खसरा नंबर 931 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खाता संख्या नया व पुराना 4 के खसरा नंबर 930/1, 937 कुल किता 2 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर जो वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज पिता व दादा बाल्या के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित थी। मूल्या के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त आराजी पर वादी के दादा कल्याण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद चली आ रही थी। और उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 4 अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी व प्रतिवादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :-

मूल्या पुत्र ठाकरसी (मृतक)

↓

गोपाल

↓

छाजूराम पुत्र | बबलू पुत्र | सावित्री पुत्री | सुमन पुत्री

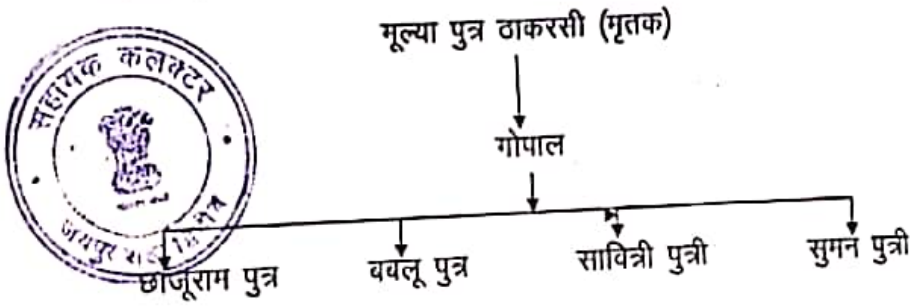

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे और प्राकृतिक उपज का फायदा उठाते आ रहे है। वादी स्व0 मूल्या का पौत्र है जिसका की मूल्या की उक्त आराजी में जन्म से ही (बाई बर्थ) हक अधिकार निहित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दादा की सम्पत्ति में पौत्र का भी हक व अधिकार निहित है। इसलिये भी वादी को अपने दादा बाल्या की उक्त आराजी में हक व हिस्सा शुरू से ही निहित है। प्रतिवादी [illegible] गोपाल ने उक्त भूमि में से कुछ भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 5 लगायत [illegible] को कर दिया उक्त बेचान वादी के हक अधिकारों के प्रति पूर्णतः [illegible] बेअसर व शून्य है। जिसका कोई औचित्य नहीं है। और ना [illegible] उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 का कभी कोई कब्जा काश्त ही नही रहा है। वादी दिनांक 26.02.2021 को अपनी कृषि भूमि की सार संभाल कर रहा था तभी प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 16:42:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

5 लगायत 8 मौके पर अन्य आठ–दस व्यक्तियों के साथ आये और वादी से कहा कि यह जमीन तो आपके पिता गोपाल ने हमें बैचान कर दी है। आप उक्त जमीन को खाली कर दो उक्त जमीन राजस्व रिकॉर्ड में हमारे नाम से दर्ज व अंकित चली आ रही है आप उक्त जमीन को तुरन्त प्रभाव से खाली कर दो, नही तो हम जबरन बाहुबल के आधार पर उक्त भूमि को खाली करवा कर उक्त भूमि को अन्य को विक्रय हस्तान्तरण करेंगे और प्लाटिंग करेंगे। इस पर वादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ और यह वाद बावत् घोषणा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि घोषणा खातेदारी की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण को इस आशय की जारी फरमाई जावें वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात अथवा इसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से बैचान–हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने एवं आम व खास मुखत्यार नियुक्त करने से निषेध रहें तथा किसी भी प्रकार कोई लेख्य पत्र तस्दीक एवं पंजीयन करने से निषेद्व रहें तथा वादी के कब्जे–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा, हस्तक्षेप, मजाहमत, मदाखलत करने से निषेद्व रहे तथा अपने–अपने परिवारजन, एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्व रखे तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायीं रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन (रजिस्टर्ड एडी) तलब किया गया। प्रतिवादीगण को जारी रजिस्टर्ड एडी नोटिस एक माह बाद भी लौटकर प्राप्त नही होने पर तामील की प्रज्जमनसन मानते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र बबलू पुत्र गोपाल जाति कुमावत निवासी दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर का

किये गए।

पेश किया गया। साक्ष्य [illegible] । बहस वादपत्र पर सुनी

बहस वादपत्र पर वकील वादी एकपक्षी [illegible] । वादी द्वारा वाद

जाकर पत्रावली का [illegible] वेजात अवलोक [illegible] 88, 188 राजस्थान

बावत् घोषणा एवं [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] किया गया कि वादग्रस्त

काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर [illegible]

आराजी साबिक आराजी खसरा नंबर 460, 461, 464, 465, 466, 467, 468 व कुल किता 7 कुल रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल खाता संख्या 390

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:42:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

पुराना 375 के खसरा नंबर 929 व 930 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर तथा हाल खाता संख्या 217 पुराना 257 के खसरा नंबर 758 रकबा 0.32 हैक्टेयर एवं हाल खाता संख्या नया 59 पुराना 53 के खसरा नंबर 923 कुल किता 1 कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 287 व पुराना 258 के खसरा नंबर 932, 943/2574, 944 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर, और खाता संख्या नया 109 पुराना 105 के खसरा नंबर 931 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खाता संख्या नया व पुराना 4 के खसरा नंबर 930/1, 937 कुल किता 2 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर जो वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज पिता व दादा माल्या के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित थी। मूल्या के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त आराजी पर वादी के दादा कल्याण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद चली आ रही थी। वादी स्व0 मूल्या का पौत्र है जिसका की मूल्या की उक्त आराजी में जन्म से ही वाई वर्थ हक अधिकार है। और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी अपने हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादी द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2025 से 202, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–3 जमाबंदी (खतौनी) 2055 से 2058, प्रदर्श–4 जमाबंदी (खतौनी) सम्वत् 2059 से व वादी द्वारा वाद की मद संख्या 2 में वर्णित सजरा खानदान के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादी के पूर्वजो की सम्पति है। और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् वादगस्त आराजी में वादी का वाई वर्थ हक अधिकार निहित है। ऐसे में वादग्रस्त आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् वादी को पैतृक वादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी जिसके हाल खाता संख्या 390 व पुराना 375 के खसरा नंबर 929 व 930 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर तथा हाल खाता संख्या 217 पुराना 257 के खसरा नंबर 758 रकबा 0.32 हैक्टेयर एवं हाल खाता संख्या नया 59 पुराना 53 के खसरा नंबर 923 कुल किता 1 कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 287 व [illegible] के खसरा नंबर 932, 943/2574, 944 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 [illegible], और खाता संख्या नया 109 पुराना 105 के खसरा नंबर 931 [illegible] हैक्टेयर, खाता संख्या नया व पुराना 4 के खसरा नंबर 930/1, 937 [illegible] किता 2 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर वाकै ग्राम दहमीकलां, पटवार क्षेत्र दहमीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:42:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अमल–दरामद करें। इस आशय की डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:42:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

बबलू वनाम गोपाल वगै.

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/2021/40

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू ......४...... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी जिसके हाल खाता संख्या 390 व पुराना 375 के खसरा नंबर 929 व 930 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर तथा हाल खाता संख्या 217 पुराना 257 के खसरा नंबर 758 रकबा 0.32 हैक्टेयर एवं हाल खाता संख्या नया 59 पुराना 53 के खसरा नंबर 923 कुल किता 1 कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 287 व पुराना 258 के खसरा नंबर 932, 943/2574, 944 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर, और खाता संख्या नया 109 पुराना 105 के खसरा नंबर 931 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खाता संख्या नया व पुराना 4 के खसरा नंबर 930/1, 937 कुल किता 2 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर वाके ग्राम दहमीकलां, पटवार क्षेत्र दहमीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अमल–दरामद करें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ......४...... मुवक्लिग ......६...... बाबत् ......४......
.... खर्चा इस मुकद्में में मय सूद बशरह ......४...... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......६...... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.04.2022 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर

दस्तखत ...... सहायक कलक्टर

ओहदा ...... जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा [illegible]		
खर्चा गवाहान			फीस [illegible]		
फीस कमिश्नर			बावत [illegible] इजराय		
बावत् इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान		00	मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:42:41 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner